>

Title: Regarding recuritment in Miltary on compassionate ground.

*m01

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध के 20 पूरे हो गए हैं । देश का एक-एक व्यक्ति सेना पर गर्व करता है । माननीय प्रधान मंत्री जी हर दीपावली देश के फौजियों के साथ मनाते हैं । मैं आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा था, औरंगजेब नाम के सैनिक की वहां आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, उसके दो सगे भाइयों ने आर्मी ज्वाइन की है ।

अंत में, मैं आपसे बोलना चाहता हूं और यही मेरा विषय है कि भारतीय सेना, एयर फोर्स, नेवी या पैरा मिलिट्री फोर्सिस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में, जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनके स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति होती है । जब उनकी विधवा पत्नी या परिवार के किसी व्यक्ति को सर्विस मिलती है तो दो-तीन साल बाद उनका स्थानांतरण प्रदेश से बहुत दूर कर दिया जाता है । 16 वीं लोक सभा में भी मैंने इस विषय को उठाया था । सरकार ने इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मिली है, शहीदों के सम्मान में ऐसे नियम बनाए जाएं, ताकि उनको उन्हीं के जनपद के नजदीक उसी प्रदेश में रखा जाए ।